

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 114/8

दिनांक:- 14-5-18

द्वारा 111-128 RTN

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री श्री. प्रदीप कुमार शर्मा रजि. नं० 1003

जति श्री. प्रदीप उम्र 35 नि० वसुन्धरा तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदाजत वसुन्धरा दिनांक 14-05-2018 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले0रे0एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा वसुन्धरा पंचायत समिति दावा में स्थित खाता संख्या 41 पर आराजी नं० 1003 कुल 0 बीघा 18 बिस्वा किता 1 योग रकबा 18 बिस्वा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लडाईं झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी श्री. राजेश नि० वसुन्धरा ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम वसुन्धरा के खसरा नं० 1001 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 01-14 की जमाबंदी सम्वत् 2018-19 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा वसुन्धरा में स्थित खाता संख्या 41 पर आराजी नं० 1003 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 18 बिस्वा की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा वसुन्धरा में स्थित खाता संख्या 41 पर आराजी नं० 1003 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 18 बिस्वा की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, डूंगरपुर भू0अ0 निरीक्षक श्री. अमर के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रु० 400/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फौसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर